रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 14, 1986/फाल्गुन 23, 1907
No. 7] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 14, 1986/PHALGUNA 23, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

परिवहन मंत्रालय

(जल भूतल परिवहन विभाग)

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1986

अधिसूचना

सं. पी. डब्ल्यु./पो. ई. सी.-59/86 भाग-I :—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अगला

आदेश होने तक श्री एच. एस. सरकार, आई. ए. एस. (उड़ीसा : 68) को 3-3-1986 से कलकत्ता पत्तन न्यास का उपाध्यक्ष नियुक्त करती है ।

योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Surface Transport)

(Ports Wing)

New Delhi, the 14th March, 1986

NOTIFICATION

No. PW|PEC-59|86 Part-I.—In exercise of the powers conferred on them by clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government appoint Shri H. S. Sarkar, I.A.S. (OR : 68) as Deputy Chairman, Calcutta Port Trust with effect from 3-3-1986 until further orders.

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986